न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

निगरानीप्रकरण क्र0 .... R451-I-17 सन् 2017

पुष्पेन्द्र सिंह तनय श्री अनरत सिंह ठाकुर
निवासी ग्राम सांदनी तहसील राजनगर
जिला छतरपुर (म0प्र0)——————————आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1. विश्वनाथ सिंह तनय विजय सिंह ठाकुर
2. छन्नू ब्रा0 तनय टूडे ब्रा0
3. रामबाबू दुवे तनय छन्नू ब्रा0
4. कल्लू दुवे तनय छन्नू ब्रा0
5. एरोरा वाली पत्नी छन्नू ब्रा0

निवासीगण ग्राम सांदनी तसहील राजनगर
जिला छतरपुर (म0प्र0)——————अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी अनतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–रा0 संहिता 1959 विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 163 / अ–6–अ / 2015–16 न्यायालय नायब तहसीलदार राजनगर प्रभारी मण्डल चन्द्रनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.01.2017 से परिवेदित होकर ।

अजय कुमार श्रीवास्तव (एड.)
श्रीमती तृप्ति श्रीवास्तव (एड.)
इतवारी टौरिया, सागर (म.प्र.)
मो. 9424404113, 07582–244803

महोदय,

आवेदक निम्न लिखित निगरानी प्रस्तुत करता है :–

1. यह कि निगरानी का संक्षिप्त सार इस प्रकार है कि ग्राम सांदनी की भूमि खसरा नं0 669, 370, रकवा क्रमशः 1.149, 2.023 हे0 म0प्र0 शासन के नाम से राजस्व अभिलेख में दर्ज थी जिस पर मात्र 5 वर्ष अर्थात अनावेदकगणों को वर्ष 1973–74 से वर्ष 1977–78 तक लीज पट्टा प्रदाय किया गया था और जिसमें शर्त निर्धारित की गई थी कि उक्त अवधि में अनावेदकगण उक्त भूमि को कृषि योग्य बनाकर भूमि का विकास कर काबिज रहकर कृषि कार्य करेंगें परन्तु अनावेदकगणों द्वारा उक्त लीज पट्टे का आज तक पालन नही किया गया ।
2. यह कि आवेदित भूमि कहां पर स्थित है और कौन सा व्यक्ति उस पर काबिज है अनावेदकगणों को किसी प्रकार की कोई जानकारी नही रही है। जिस कारण से आवेदक द्वारा आवेदित भूमि को म0प्र0 शासन के नाम से दर्ज किये जाने वावत् आवेदन नायब तहसीलदार मण्डल बसारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे प्रकरण क्रमांक 163 / अ–6–अ / 2015–16 में दर्ज किया जाकर हल्का पटवारी सांदनी से पंचनामा सहित रिपोर्ट चाही गई थी जिसमें हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट दिनांक 28.08.2016 को प्रस्तुत की जाकर यह लेख किया है कि आवेदित भूमि

क्रमशः / / 2 / /

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 451–एक/2017 जिला छतरपुर

पुष्पेन्द्र सिंह विरूद्ध विश्वनाथ सिंह आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07–3–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार राजनगर प्रभारी मण्डल चन्द्रनगर के प्रकरण कमांक 163/अ–6–अ/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 18–1–2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 6–5–2019 को कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। सदस्य 07/3/19	